न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर. ए. एस.)

मुकदमा नम्बर 180/2020

1. श्रीमती मीरा उम्र 50 वर्ष विधवा पत्नि शिवचरन
2. पुनीत उम्र 33 वर्ष पुत्र शिवचरन
3. उमेश उम्र 23 वर्ष पुत्र शिवचरन

जाति नाई निवासी दहगांवा तहसील बयाना जिला – भरतपुर

4. श्रीमति मंजू उम्र 26 वर्ष पुत्री शिवचरन, पत्नि उमेष जाति नाई निवासी दहगांवा, हाल निवासी मासलपुर तहसील जिला– करौली (राज0)

—— वादीगण / प्रार्थीगण

(बनाम)

1. ग्यासी उम्र 72 वर्ष पुत्र घीसीराम
2. जगदीश उम्र 52 वर्ष
3. प्रभुदयाल उम्र 46 वर्ष
4. विनोद उम्र 42 वर्ष

पुत्रान ग्यासी

जाति नाई निवासी ग्राम दहगांवा तहसील बयाना जिला भरतपुर

5. श्रीमति गीता तिवाडी उम्र 62 वर्ष पत्नि अमर सिंह , जाति ब्राहम्ण निवासी नगला छीतरिया, तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

—— मूल प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहव बयाना।

—— शोभनार्थ प्रतिवादी / अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दफा 212 राज.टी.एक्ट ओर्डर 39 रूल 1 व 2 धारा 151 जा.दी. वसिलसिले वाद बाबत् घोषणा, विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राज.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः– 02/03/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण
श्री बृजमोहन गुप्ता एडवोकेट अप्रार्थीगण 1 लगा 5

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 16 रकवा 3 बीघा 7 बिस्वा, नवीन आराजी खसरा नम्बर 26 रकवा 0.35 है0, 29 रकवा 0.19 है0, 30 रकवा 0.01 है0 किता– 3 कुल रकवा 0.55 है0 वाकै मौजा नगला छीतरिया तहसील बयाना में स्थित है वादीगण प्रार्थीगण एवम् प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है उनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार है।

घीसीराम

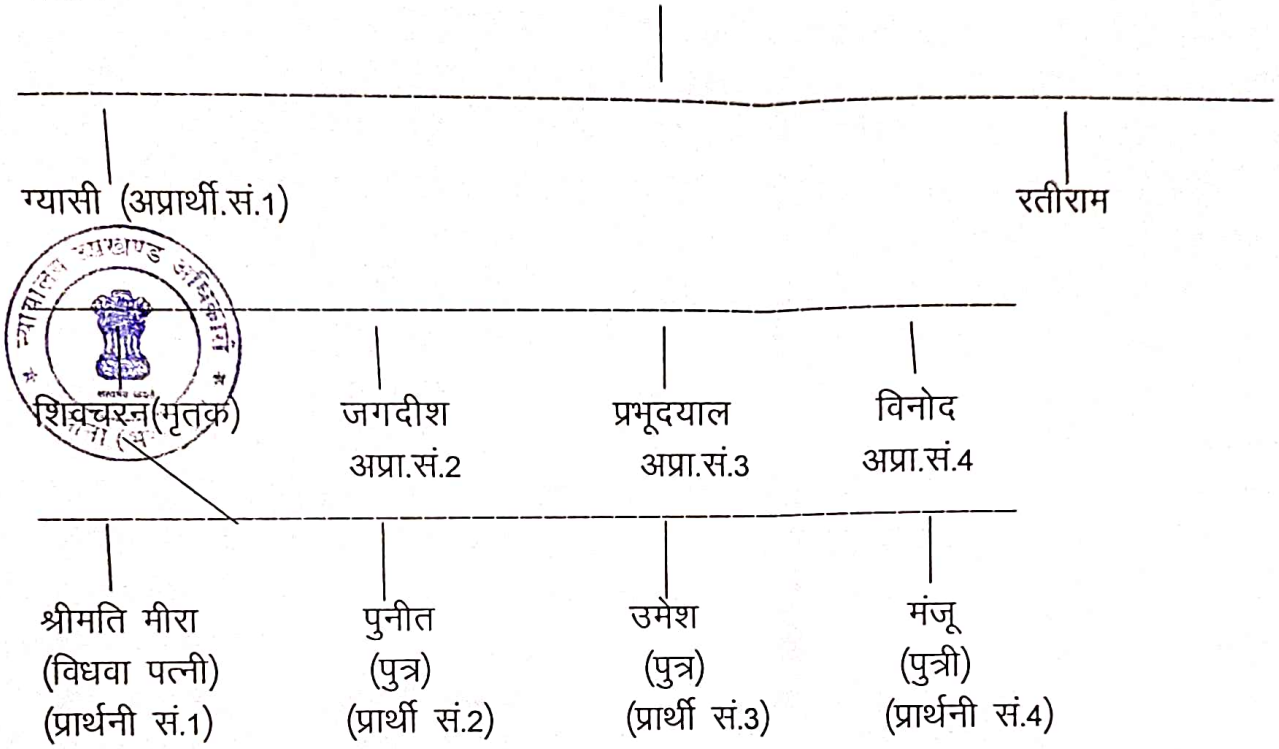

- ग्यासी (अप्रार्थी.सं.1)
- रतीराम
  - शिवचरन (मृतक)
    - श्रीमति मीरा (विधवा पत्नी) (प्रार्थनी सं.1)
    - पुनीत (पुत्र) (प्रार्थी सं.2)
    - उमेश (पुत्र) (प्रार्थी सं.3)
    - मंजू (पुत्री) (प्रार्थनी सं.4)
  - जगदीश अप्रा.सं.2
  - प्रभूदयाल अप्रा.सं.3
  - विनोद अप्रा.सं.4

वादीगण प्रार्थीगण एवंम् प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 वर्णित विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी है जो कि वादीगण प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता, शिवचरन, एवं प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की बाबा (पितामह) घीसीराम की छोडी हुई है मृतक शिवचरन एवम् प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ शामिल शरीक में रहते चले आ रहे थे अतः वादीगण प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारी प्राप्त है। विवादित आराजी में वाई वर्थ खातेदारी अधिकारी मृतक शिवचरन व प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को प्राप्त हो चुके थे। विवादित आराजी में प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व वादीगण प्राथीगण के पति व पिता शिवचरन, प्रतिवारी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर वहिस्सा बराबर 1/2 भाग खातेदार काश्तकार एवम् काबिज रहे है। शिवचरन की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा वादीगण प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ है। अर्थात विवादित आराजी में वादीगण प्रार्थीगण मिलकर हिस्सा बराबर 1/10 हिस्से के, प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज है। वादीगण प्रार्थीगण एवम् प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सम्मिलित रूप से अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

निहित हिस्से पर मौके पर काश्त करे फसल को उपयोग व उपभाग में लेते चले आ ...। शेष निस्फ हिस्से में रतीराम खातेदार काश्तकार एवम् काविज था जिसने अपना निहित ...सा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है जिससे प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 5 ...त निहित 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त विवादित आराजी में मात्र 1/10 हिसा निहित है। कोपारसनरी प्रोपर्टी में वादीगण के पिता शिवचरन व प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को जन्म से (By Birth) खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का इन्द्राज पिता होने के कारण दर्ज था। वादीगण प्रार्थीगण के पति व पिता शिवचरन एवम् प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4, प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काविज थे। निहित हिस्से को वादीगण प्रार्थीगण एवम् प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सम्मिलित रूप से काश्त करके उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी का इन्द्राज सरासर गलत, अवैध मौके पर काबिज हक के नितान्त विपरीत दर्ज है। प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी नमें 1/2 भाग का खातेदार नही है इसलिये प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित में अपने 1/10 हिस्से से अधिक भाग को विकय आदि के मुन्तकिल के कोई अधिकारी कानूनन प्राप्त नही है। विवादित आराजी संयुक्त अविभाजित है जिसका कि वादीगण प्रार्थीगण एवम् प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के मध्य वाई मीटस विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण प्रार्थीण आज भी प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ, निहित भाग को सम्मिलित में काश्त करते एवम् काबिज चले आ रहे है। परन्तु वादीगण प्रार्थीगण का, अब प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के विवादित आराजी को सम्मिलित में काश्त करना सम्भव नही रह गया है। दिनांक 04.10.2020 को, वादीगण प्रार्थीगण ने प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 से, राजस्व रिकार्ड में हो रहे निस्फ भाग के खातेदारी इन्द्राज को समाप्त कर निस्फ भाग में वादीगण प्रार्थीगण एवंम् प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी का इन्द्राज कराने में तथा प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 निहित भाग के अनुसार विभाजन कराकर पृथक–पृथक कुरे बनवाये जाने रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज कराने की कहा तो प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण ने वादीगण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों से इन्कार करते हुये विभाजन से भी इन्कार कर दिया है तथा मूल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण ने वादीगण प्रार्थीगण को धमकी दी है कि प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 ने वादीगण प्रार्थीगण कानूनी अधिकारों को समाप्त करने के उद्वेश्य से उक्त आराजी के 1/2 भाग का विकयपत्र प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में तहरीर कराकर रजिस्टर्ड करा दिया गया है तथा दिनांक 04.10.2020 को प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 5 ने धमकी दी है उसने विवादित आराजी का निहित 1/2 हिस्सा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 से खरीद कर लिया है अतः वह शीघ्र ही ताकत व लट्ठ के प्रभाव से वादीगण प्रार्थीगण के निहित भाग पर अ... हस्तक्षेप करते हुये वादीगण प्रार्थीगण के निहित भाग पर जबरन कब्जा ... निहित भाग से बेदखल कर देगें तथा वादीगण प्रार्थीगण को आराजी का ... उपयोग व उपभोग नही करने देगें तथा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के स्थान पर शीघ्र से ...न्तकरण दर्ज व तस्दीक करवाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर दीगर व्यक्तियों को आराजी को विक्रय कर रिकार्ड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:53 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

..करा देगें। वादीगण प्रार्थीगण, कमजोर, निर्बल, शान्तिप्रिय, गरीब है जबकि मूल ..गण अप्रार्थीगण शक्तिशाली, प्रभावशाली, पैसे वाले, ताकतवर व्यक्ति है। यदि मूल ..गण अप्रार्थीगण अपनी धमकी व मंशा में सफल हो जाते है तो वादीगण प्रार्थीगण को ..ही ज्यादा अपूर्णनीय क्षति होगी तथा विक्रय पत्र के कायम रहने से वादीगण प्रार्थीगण के विवादित आराजी में निहित खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। वादीगण प्रार्थीण विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से को काश्त नही कर सकेगा तथा वादीगण प्रार्थीगण पैत्रिक जमीन के उपयोग व उपभाग से बंचित हो जाऐगें अतः उक्त परिरिथति में वादीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजी में निहित अपने भाग के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराया जाना तथा वादीगण प्रार्थीगण के भाग तक, विक्रय पत्र को वादीगण प्रार्थीगण के मुकाविले में अवैध, शून्य, निष्प्रभावी घोषित कर मूल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को अरथायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादिनी अप्रार्थनी संख्या 3 विवादित आराजी में वादीगण प्रार्थीगण के निहित भाग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व हस्तक्षेप नही करें वादीगण प्रार्थीगण को निहित भाग के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार से रूकावट व अवरोध पैदा नहीं करें तथा जबरन वादीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर, वादीगण प्रार्थीण को उक्त आराजी के भाग से बेदखल नही करें। वादीगण प्रार्थीगण एवम् मूल प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के मध्य निहित भाग के अनुसार कुरें बनवाया जाकर वादीगण प्रार्थीगण के हिस्से का प्रथक से कुरा कराकर उस पर पृथक से वादीगण प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जावें। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2021 को पेश कर निवेदन किया कि ग्यासी की पुत्रियां जीवित है जिनको पछकार मुकदमा नही बनाया गया है इसी आधार पर मुकदमा चलने योग्य नही है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी नही है विवादित भू.खण्डों में 0.55 है0 भूमी में 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार व काविज आराजी प्रतिवादनी अप्रार्थनी संख्या 5 है शेष 1/2 भाग की खातेदारी स्वयं विक्रेता ग्यासी की खातेदारी भूमि है जिसे विक्रेमा ग्यासी प्रतिवादी संख्या 1 ने विद कन्सीडरेशन वादीगण, प्रार्थीगण व मूल प्रतिवादी अप्रार्थी 1 लगायत 4 की पूर्व सहमति व स्वीकृति से दिनांक 29.09.2020 को प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 5 के हक में विक्रय पत्र कराया है इसी आराजी बावत एक दावा गीता बनाम ग्यासी मुकदमा संख्या 140/2019 व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट 131/2019 भी न्यायालय में पेश था, जिसे वादीगण प्रार्थीगण व प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की सहमति से प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2020 को निरस्त कराया गया था। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष के वकुलाय को सुना ... का कथन है कि, प्रार्थीगण व प्रतिवादी अप्रार्थी 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है अप्रार्थी ग्यासी को आराजी विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नही है अन्त मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

विद्ववान अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि विवादित आराजीयात वावत एक प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पूर्व में पेश हो चुका है ग्यासी अप्रार्थी की पुत्रियां जीवित को प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। जब पूर्व का दावा विचाराधीन है तो ानुसार समान आराजी व समान पक्षकारों व विषयवस्त समान होने पर दुवारा दावा पेश ही किया जा सकता है प्रार्थीगणों द्वारा यह कही भी अंकित नही किया है कि उनका विवादित आराजीयात कितना हिस्सा बनता है प्रार्थीगण द्वारा पुनः दावा/प्रार्थनापत्र प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को परेशान करने से नियति से पेश किया है अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने का निवेदन किया है।

विद्ववान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का गहनता से अध्यन किया है विवादित आराजी वादनी/प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड नही है अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी वावत एक अन्य विवाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में उनवानी मीरा बनाम ग्यासी बगै0 पूर्व से जेरकार है तो नया वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नही रहता। अप्रार्थी संख्या 1 ग्यासी विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार काविज आराजी है उसे अपने हिस्से की आराजी को विक्रय/मुल्तकिल करने के पूर्ण कानूनी अधिकार निहित है। प्राइमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबि सावित है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

02/03/21
सुनील आर्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
बयाना (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकरी बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested